



UPST010034542026

न्यायालय – सत्र न्यायाधीश, सुलतानपुर

उपस्थित: सुनील कुमार-IV, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

न्यायिक अधिकारी कोड सं० – यू०पी० 1885

प्रकीर्ण फौजदारी वाद सं० 148/2026

श्रीमती गुड्डा _____ बनाम _____ उ०प्र० राज्य

दिनांक: 19.06.2026

(निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं० 3ख1)

पत्रावली अदेशार्थ पेश हुयी।

प्रार्थिनी श्रीमती गुड्डा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज सं० 3ख1 पर प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं० 1 जितेन्द्र के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

प्रार्थिनी की ओर से प्रार्थना पत्र 3ख1 मय शपथ पत्र 4ख2 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि विशेष परीक्षण सं० 101/2019 उ०प्र० राज्य बनाम विजय श्याम आदि की पत्रावली न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं० 12, सुलतानपुर में विचाराधीन है तथा इस मुकदमे का कास केस सत्र परीक्षण सं० 472/2022 उ०प्र० राज्य बनाम जितेन्द्र कुमार तिवारी न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं० 03, सुलतानपुर में विचाराधीन है। उक्त दोनो मुकदमें कास केस हैं, जिनका विचारण पूर्व में एक साथ हो रहा था। ऐसे में दोनो मुकदमों का विचारण एक ही न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वर्णित वादों को विचारण हेतु किसी एक न्यायालय में अन्तरित किये जाने की याचना की गयी।

विपक्षी सं० 1 जितेन्द्र के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उक्त स्थानान्तरण में कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

उपर्युक्त दोनों विचारण न्यायालयों (न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं० 03, सुलतानपुर तथा न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं० 12, सुलतानपुर) से प्राप्त आख्या के अनुसार अंतरण प्रार्थना पत्र में वर्णित पत्रावलियां सम्बन्धित विचारण न्यायालयों में लम्बित हैं।

पत्रावली तथा सम्बन्धित विचारण न्यायालयों से प्राप्त आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि सत्र परीक्षण सं० 472/2022 उ०प्र० राज्य बनाम जितेन्द्र कुमार तिवारी न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं० 03, सुलतानपुर में तथा विशेष परीक्षण सं० 101/2019 उ०प्र० राज्य बनाम विजय श्याम आदि न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो

अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 12, सुलतानपुर में विचाराधीन हैं। प्रार्थी के कथनानुसार उक्त दोनो वाद एक दूसरे के कास केस हैं और वर्तमान समय में अलग-अलग न्यायालयों में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में उक्त दोनो वादों को विचारण/निस्तारण हेतु सक्षम कार्यरत न्यायालय में अन्तरित किया जाना न्यायोचित एवं समीचीन है।

उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 03, सुलतानपुर में विचाराधीन सत्र परीक्षण सं0 472/2022 उ0प्र0 राज्य बनाम जितेन्द्र कुमार तिवारी की पत्रावली को कास केस की पत्रावली विशेष परीक्षण सं0 101/2019 उ0प्र0 राज्य बनाम विजय श्याम आदि के साथ विधि अनुसार विचारण/निस्तारण हेतु न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 12, सुलतानपुर में स्थानांतरित किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थना पत्र कागज सं0 3ख1 स्वीकार किया जाता है। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 03, सुलतानपुर में विचाराधीन सत्र परीक्षण सं0 472/2022 उ0प्र0 राज्य बनाम जितेन्द्र कुमार तिवारी की पत्रावली विधि अनुसार विचारण/निस्तारण हेतु न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 12, सुलतानपुर में स्थानांतरित की जाती है।

आदेश की प्रति सम्बन्धित न्यायालयों में अनुपालनार्थ प्राप्त करायी जाए। प्रस्तुत प्रकीर्ण दाण्डिक वाद की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए।

(सुनील कुमार-IV)

जनपद न्यायाधीश

सुलतानपुर

(JO Code UP 1885)

दिनांक: 19.06.2026

प्रखर कुमार श्रीवास्तव/-